Think
IAS...

दृष्टि
The Vision

Think
Drishti

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

उत्तराखंड

(राज्य विशेष)

उत्तराखण्ड राज्य

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम *(Distance Learning Programme)*

Code: UKPM08

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

उत्तराखंड

(राज्य विशेष)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501
टोल फ्री : **1800-121-6260**
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UKPSC DLP

विषय सूची (Contents)

1. उत्तराखंड : सामान्य परिचय **7–14**

2. उत्तराखंड : भौगोलिक सरंचना **15–22**

2.1 भौगोलिक विभाजन 16

3. उत्तराखंड : जलवायु, मिट्टियाँ एवं प्राकृतिक आपदाएँ **23–29**

3.1 उत्तराखंड की जलवायु 23

3.2 उत्तराखंड की मिट्टियाँ 24

3.3 प्राकृतिक आपदाएँ 26

4. उत्तराखंड : अपवाह तंत्र, झीलें, हिमनद व जलप्रपात **30–39**

4.1 उत्तराखंड का अपवाह तंत्र 30

4.2 उत्तराखंड के झीलें 33

4.3 उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद 36

5. उत्तराखंड : कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई **40–51**

5.1 कृषि व्यवस्था 40

5.2 राज्य की प्रमुख फसलें 41

5.3 कृषि से संबंधित प्रमुख पहल 44

5.4 जल संसाधन एवं प्रबंधन 46

6. उत्तराखंड : वन, वन्यजीव एवं वन आंदोलन **52–62**

6.1 उत्तराखंड में वन 52

6.2 उत्तराखंड में वन्य जीव 55

6.3 उत्तराखंड में वन आंदोलन 59

7. उत्तराखंड : खनिज संसाधन **63–68**

7.1 खनिज वितरण 63

7.2 उत्तराखंड खनिज नीति, 2011 65

8. उत्तराखंड : औद्योगीकरण **69–77**

8.1 उत्तराखंड के प्रमुख उद्योग 69

9.	**उत्तराखंड : ऊर्जा संसाधन**	**78–82**
	9.1 उत्तराखंड में विद्युत से संबंधित प्रमुख संगठन	78
	9.2 विद्युतीकरण से संबंधित प्रमुख योजनाएँ	81
10.	**उत्तराखंड : परिवहन तंत्र**	**83–86**
	10.1 सड़क मार्ग	83
	10.2 रेल मार्ग	84
	10.3 वायु मार्ग	85
11.	**उत्तराखंड : राज्यव्यवस्था एवं प्रशासन**	**87–108**
	11.1 कार्यपालिका	87
	11.2 विधानमंडल	90
	11.3 न्यायपालिका	93
	11.4 उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था	96
	11.5 राज्य सूचना आयोग	99
	11.6 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग	99
	11.7 राज्य योजना आयोग	101
	11.8 राज्य निर्वाचन आयोग	101
	11.9 राज्य वित्त आयोग	102
	11.10 उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग	103
	11.11 उत्तराखंड राज्य महिला आयोग	104
	11.12 उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011	104
12.	**उत्तराखंड : ऐतिहासिक परिदृश्य**	**109–132**
	12.1 उत्तराखंड इतिहास के स्रोत	110
	12.2 उत्तराखंड के प्रमुख राजवंश	112
	12.3 ब्रिटिश शासन का प्रारंभ	120
	12.4 उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन	120
	12.5 उत्तराखंड में जन आंदोलन	124
	12.6 उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	126
13.	**उत्तराखंड : जनगणना**	**133–140**

14. उत्तराखंड : शिक्षा, भाषा व साहित्य **141–149**

14.1 शिक्षा 141

14.2 भाषा 144

14.3 साहित्य 146

15. उत्तराखंड : पर्यटन **150–172**

16. उत्तराखंड : कला एवं संस्कृति **173–197**

16.1 उत्तराखंड की कला 173

16.2 उत्तराखंड की संस्कृति 175

16.3 सांस्कृतिक कैलेण्डर 185

17. उत्तराखंड : अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ एवं उनकी संस्कृति **198–205**

18. उत्तराखंड : खेल, पुरस्कार एवं सम्मान **206–218**

18.1 प्रमुख खिलाड़ी 206

18.2 पुरस्कार एवं सम्मान 212

19. उत्तराखंड : प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ **219–239**

19.1 अनुसूचित जाति के लिये कल्याणकारी योजनाएँ 219

19.2 अनुसूचित जनजाति के लिये कल्याणकारी योजनाएँ 224

19.3 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये कल्याणकारी योजनाएँ 227

19.4 सामाजिक सुरक्षा के लिये कल्याणकारी योजनाएँ 228

19.5 महिलाओं के लिये कल्याणकारी योजनाएँ 229

19.6 विकलांगों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ 230

19.7 उत्तराखंड बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम योजनाओं का विवरण 233

19.8 अन्य योजनाएँ 236

20. उत्तराखंड : प्रसिद्ध व्यक्तित्त्व **240–250**

21. उत्तराखंड : समसामयिकी **251–255**

22. उत्तराखंड : विविध **256–267**

अध्याय 1

उत्तराखंड : सामान्य परिचय (Uttarakhand : General Introduction)

- राज्य का नाम – उत्तराखंड (पूर्वनाम-उत्तरांचल)
- राज्य गठन हेतु विधेयक लोकसभा से पारित - 1 अगस्त, 2000 को
- राज्य गठन हेतु विधेयक राज्यसभा से पारित - 10 अगस्त, 2000 को
- उत्तरांचल राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति (तत्कालीन राष्ट्रपति - के.आर. नारायणन) द्वारा स्वीकृति - 28 अगस्त, 2000 को
- राज्य गठन की तिथि - 9 नवंबर, 2000
- भारतीय गणतंत्र का राज्य - 27वाँ
- राज्य की भौगोलिक स्थिति - 28° 43' से 31° 27' उत्तरी अक्षांश एवं 77° 34' से 81° 02' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
- राज्य का क्षेत्रफल - 53, 483 वर्ग किमी. (देश के क्षेत्रफल का 1.63%)
- राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग – 46,035 वर्ग किमी. (86.07%)
- राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग - 7,448 वर्ग किमी. (13.93%)
- उत्तर से दक्षिण में विस्तार – 320 किमी.
- पूर्व से पश्चिम में विस्तार – 358 किमी.
- राज्य की सीमा से लगे राज्य – 2 [हिमाचल प्रदेश (पश्चिम में), उत्तर-प्रदेश (दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व में)]
- राज्य की सीमा से लगे देश – 2 [पूर्व में– नेपाल (उत्तर में), तिब्बत (चीन)]
- राजकीय चिह्न - अशोक की लाट के नीचे तीन पर्वत चोटियाँ एवं उसके नीचे गंगा की चार लहरों को अंकित किया गया है। अशोक की ललाट नीचे सत्यमेव जयते लिख गया है।
- राजकीय पुष्प – ब्रह्म कमल (स्थानीय नाम - कौंलपद्म) (वैणानिक नाम- सौसूरिया अब्वेलेश)
- राजकीय वृक्ष – बुरांस (बुरांश)
- राजकीय पशु – कस्तूरी मृग (हिमालयन मस्क डियर)
- राजकीय पक्षी – मोनाल (हिमालय का मयूर)
- राजकीय खेल – फुटबाल
- राजकीय गीत – उत्तराखंड देवभूमि, मातृभूमि, शत् शत् वंदन ......। (हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित)
- राजकीय तितली – कॉमन पीकॉक (वर्ष 2016 में घोषित)
- राजकीय भाषा – प्रथम-हिंदी, दूसरी- संस्कृत (जनवरी 2010 से)
- राज्य की विधायिका – एक सदनीय
- विधानसभा सदस्यों की संख्या – 71 (70 निर्वाचित + 1 मनोनीत)
- विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या - 13
- विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या - 2
- लोकसभा में सदस्यों की संख्या - 5
- राज्यसभा हेतु सीटें - 3

अध्याय

2

उत्तराखंड : भौगोलिक संरचना (Uttarakhand: Geographical Structure)

मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों का विकास कठिन है, क्योंकि इन क्षेत्रों की भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक संरचना मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होती है, जिस कारण धीरे-धीरे पर्वतीय (हिमालयी) राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ और वर्ष 2000 में 11वें पर्वतीय (हिमालयी) राज्य एवं भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया।

उत्तराखंड की कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- राज्य का आकार लगभग आयताकार है। पूर्व से पश्चिम में राज्य का विस्तार लगभग 358 किमी तथा उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार लगभग 320 किमी है।
- राज्य का अक्षांशीय विस्तार 2°44' (उत्तरी अक्षांश में 28° 43' से 31°27' तक)तथा देशांतरीय विस्तार 32°8'(पूर्वी/देशांतर में 77°34' से 81°02' तक) है।
- उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 53,483 वर्ग किमी है। यह भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.69 प्रतिशत है।
- चमोली ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा ज़िला है तथा चंपावत सबसे छोटा ज़िला है।
- चूँकि उत्तराखंड राज्य पर्वतीय है, इसलिये यहाँ मैदानी क्षेत्र कम हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07 प्रतिशत भाग पर्वतीय, जबकि मात्र 13.93 प्रतिशत मैदानी है।
- 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के पश्चात् उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से अब भारत का 19वाँ राज्य है।
- राज्य की राजनैतिक सीमा पूर्व से नेपाल, उत्तर में तिब्बत (चीन), उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में उत्तर–प्रदेश से लगती है।
- राज्य की प्राकृतिक सीमा पूर्व में काली नदी, पश्चिम में टोंस नदी, उत्तर में वृहत् हिमालय, दक्षिण–पश्चिम में शिवालिक श्रेणी, दक्षिण–मध्य एवं दक्षिण–पूर्व में तराई क्षेत्र से मिलकर बनती है।
- राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में है।
- हिमालय क्षेत्र में कई दर्रे पाए जाते हैं, जिनसे होकर 1962 से पूर्व राज्य की शौका, जाड़, जोहारी आदि जनजातियाँ तिब्बत के हुणिया लोगों से व्यापार करती थीं।
- अन्य राज्यों एवं देशों से उत्तराखंड के ज़िलों की सीमाएँ लगती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है-
  - नेपाल से: पिथौरागढ़, चंपावत व ऊधम सिंह नगर (3 ज़िले)
  - चीन से: उत्तरकाशी, चमोली, व पिथौरागढ़ (3 ज़िले)
  - उत्तर-प्रदेश से: ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, व देहरादून (5 ज़िले)
  - हिमाचल प्रदेश से: उत्तरकाशी व देहरादून (2 ज़िले)
- राज्य का सबसे पूर्वी ज़िला-पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी ज़िला–देहरादून तथा सबसे उत्तरी ज़िला-उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी ज़िला–ऊधम सिंह नगर है।
- राज्य के पौड़ी ज़िले की सीमाएँ राज्य के सर्वाधिक ज़िलों (7) को स्पर्श करती है। ऐसे 7 ज़िले- अल्मोड़ा, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी एवं हरिद्वार हैं।
- राज्य के 4 ज़िले (टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व अल्मोड़ा) पूर्णतः आंतरिक ज़िले (ऐसे ज़िले जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य या देश का स्पर्श नहीं करती है।) हैं।
- सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला ज़िला पिथौरागढ़ है। यह ज़िला नेपाल व चीन दोनों से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है।

नंदाखाट	6,674 मी.	चमोली
गंगोतरी	6,672 मी.	उत्तरकाशी
नीलकंठ	6,597 मी.	चमोली
यमुनोत्री	6,400 मी.	उत्तरकाशी
बंदरपूँछ	6,320 मी.	उत्तरकाशी
नंदाघुंघटी	6,309 मी.	चमोली
स्वर्गारोहिणी	6,252 मी.	चमोली-उत्तरकाशी
बद्रीनाथ	7,140 मी.	चमोली
नरपर्वत	5,831 मी.	चमोली
चौखंबा	7,138 मी.	चमोली
जैलंग	5,871 मी.	चमोली

उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे

दर्रा	सम्पर्क क्षेत्र
लिपुलेख (कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग), दारमा-नवीधुरा, मान्सया-लंपिया, ऊँटा जयंती, लेवि.	पिथौरागढ़-तिब्बत
थागाला, मुलिंगला, नेलंग, सागचोकला	उत्तरकाशी-तिब्बत
नीति, किंग्री-विंग्री, माणा-डुंगरी ला, बालचा, घाटरलिया, कोई, भ्यूंडार, शलशला, तंजुन, चोरहोती, लमलंग आदि	चमोली-तिब्बत
बाराहोती, मार्चयोक, टोपिधुंगा, लातुधुरा आदि	चमोली-पिथौरागढ़
ट्रेल पास	बागेश्वर-चमोली
सुंदरढुंगा	बागेश्वर-चमोली
कालिंदी	उत्तरकाशी-चमोली
श्रृंगकंठ	उत्तरकाशी-हिमाचल प्रदेश
लासपा	चंपावत-पिथौरागढ़
सिनला	दारमा व ब्यास घाटी

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- पंचाचूली पर्वत पश्चिमी धौली व गोरी गंगा के बीच स्थित है।
- धौली व सरस्वती नदी के मध्य कामेट व गौरी पर्वत स्थित है।
- उत्तराखंड में वृहत एवं लघु हिमालयी श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को मुख्य सीमा भ्रंश कहा जाता है।
- नर व नारायण पर्वतों के मध्य बद्रीनाथ घाटी स्थित है।
- उत्तराखंड के अधिकतर ऊँची चोटियों वाले पर्वत शिखर गढ़वाल मंडल में अवस्थित हैं।
- उत्तराखंड में पर्वतों का फैलाव उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशाओं की ओर है।
- उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है।
- हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति टेथिस भू-सन्नति से हुई है।

- हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश महान हिमालय एवं लघु हिमालय को अलग करता है।
- उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतपदीय नगर टनकपुर, कोटद्वार, हरिद्वार आदि हैं, जबकि रुद्रपुर ऐसे नगर की श्रेणी में नहीं आता है।
- उत्तराखंड में लघु हिमालय श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश आर मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है।
- बुग्याल, उच्च हिमालयी क्षेत्र के घास के मैदान है।
- चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा तथा चंपावत सबसे छोटा ज़िला है।
- राज्य के 4 ज़िले (टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व अल्मोड़ा) पूर्णत: आंतरिक ज़िले हैं।
- राज्य के अधिकतर पर्यटन केंद्र शिवालिक श्रेणी में स्थित हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है।
- वृहत् या उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी को भागीरथी, धौली, अलकनंदा आदि नदियों द्वारा कई खंडों में विभक्त कर दिया गया है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. किंग्री-विंग्री नीति-माना क्या हैं?
UKPSC (Pre) 2016
(a) दर्रे (b) नदियाँ
(c) पर्वत (d) धार्मिक स्थल

2. उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के सात जनपदों के साथ है? **UKPSC (Pre) 2016**
(a) अल्मोड़ा (b) चमोली
(c) पौड़ी (d) बागेश्वर

3. निम्नलिखित पर्वत-शिखरों में से कौन–सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? **UKPSC (RO/ARO) Pre 2016**
(a) कामेत (b) बंदरपूँछ
(c) दूनागिरि (d) नंगा पर्वत

4. निम्नलिखित में कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है?
UKPSC (RO/ARO) Pre 2016
(a) टनकपुर (b) कोटद्वार
(c) रुद्रपुर (d) हरिद्वार

5. सुप्रसिद्ध 'कैलाश-मान सरोवर' यात्रा गुजरती है-
UKPSC (RO/ARO) Pre 2016
(a) नीति दर्रे से (b) लिपूलेख दर्रे से
(c) लांपियाधुरा दर्रे से (d) बाड़ाहोती दर्रे से

6. 'नंघौर दून' किस जनपद में स्थित है?
UKPSC (RO/ARO) Pre 2016
(a) ऊधमसिंह नगर (b) नैनीताल
(c) गढ़वाल (d) हरिद्वार

7. हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश (MCT) पृथक् करता है-
UKPSC (RO/ARO) Pre 2016
(a) लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय को
(b) 'दून' घाटियों एवं शिवालिक श्रेणियों को
(c) महान हिमालय एवं हिमालय-पार क्षेत्र को
(d) महान हिमालय एवं लघु हिमालय को

8. उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन-सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है?
UKPSC (RO/ARO) Mains 2016
(a) शिवालिक श्रेणी (b) लघु हिमालय
(c) महान हिमालय (d) टेथिज हिमालय

9. बुग्याल हैं **UKPSC (APO) Pre 2016**
(a) उत्तराखंड की जनजाति
(b) बर्फ से ढका हुआ मैदानी क्षेत्र
(c) उच्च हिमालयी क्षेत्र के घास के मैदान
(d) बंदरपूँछ पर्वतमाला की श्रेणियाँ

10. उत्तराखंड में वृहत् एवं लघु हिमालयी श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है-
UKPSC (आबकारी विभाग) Pre 2015
(a) हिमालयी अग्र भ्रंश
(b) मुख्य केंद्रीय भ्रंश
(c) मुख्य सीमा भ्रंश
(d) ट्रांस हिमालयी (हिमालय पार) भ्रंश

11. इनमें से किसके साथ उत्तराखंड की सीमाएँ मिली हुई हैं? **UKPSC (Group B Screening) Pre 2015**
(a) बांग्लादेश तथा नेपाल
(b) नेपाल तथा तिब्बत
(c) नेपाल तथा भूटान
(d) तिब्बत तथा बांग्लादेश

12. निम्नांकित में से सही उत्तर चुनिये:
UKPSC (Group C) Pre 2015
(a) उत्तराखंड भारत का 26वाँ राज्य है।
(b) उत्तराखंड की स्थिति 28°43' उत्तर से 31°27' उत्तरी अक्षांशों के मध्य है।
(c) उत्तराखंड तीन प्रदेशों से घिरा है।
(d) उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,000 वर्ग किलोमीटर है।

13. उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है?
UKPSC (Group C Screening) Pre 2015
(a) 100 वर्गमीटर (b) 200 वर्गमीटर
(c) 500 वर्गमीटर (d) 1000 वर्गमीटर

14. हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भू-सन्नति में से हुई: **UKPSC (Pre) 2015**
(a) यूराल भू-सन्नति
(b) रॉकी भू-सन्नति
(c) टेथिस भू-सन्नति
(d) इनमें से कोई नहीं

15. उत्तराखंड में 'दून' किसे कहा जाता है?
UKPSC (Pre) 2012
(a) संरचनात्मक घाटियों को
(b) नदी-घाटियों को
(c) अल्पाइन घास के मैदानों को
(d) सँकरी घाटियों को

16. उत्तराखंड के कितने ज़िलों में वृहत्तर हिमालय का फैलाव है?
(a) 3 ज़िलों में (b) 4 ज़िलों में
(c) 6 ज़िलों में (d) 5 ज़िलों में

17. उत्तराखंड में पर्वतों का फैलाव जिन दिशाओं की ओर है, वह हैं–
(a) उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व
(b) उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम
(c) उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पूर्व
(d) उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पश्चिम

18. निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊँची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है?
(a) कामेत (b) त्रिशूल
(c) नंदादेवी (d) चेंगोरी

19. बंदरपूँछ पर्वत चोटी राज्य के किस ज़िले में स्थित है?
(a) चमोली (b) पिथौरागढ़
(c) उत्तरकाशी (d) नैनीताल

20. राज्य के किस ज़िले की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है?
(a) हरिद्वार (b) देहरादून
(c) पिथौरागढ़ (d) ऊधमसिंह नगर

21. निम्नलिखित में से किस ज़िले की सीमा उत्तर-प्रदेश से नहीं लगती है?
(a) हरिद्वार (b) देहरादून
(c) नैनीताल (d) चमोली

22. निम्नलिखित में से कौन-सा ज़िला पूर्णत: आंतरिक ज़िला नहीं है।
(a) टिहरी (b) रुद्रप्रयाग
(c) हरिद्वार (d) बागेश्वर

23. उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला ज़िला कौन–सा है?
(a) पिथौरागढ़ (b) चंपावत
(c) चमोली (d) उत्तरकाशी

उत्तरमाला

1. (a)	2. (c)	3. (d)	4. (c)	5. (b)	6. (b)	7. (d)	8. (b)	9. (c)	10. (c)
11. (b)	12. (b)	13. (b)	14. (c)	15. (a)	16. (c)	17. (a)	18. (c)	19. (c)	20. (b)
21. (d)	22. (c)	23. (a)							

अध्याय 3

उत्तराखंड : जलवायु, मिट्टियाँ एवं प्राकृतिक आपदाएँ (Uttarakhand : Climate, Soils and Natural Disasters)

उत्तराखंड के जलवायु, मिट्टियाँ एवं प्राकृतिक आपदाएँ को भिन्न-भिन्न रूपों में समझा जा सकता है क्योंकि यहाँ की भौतिक संरचना जटिल एवं पहाड़ी क्षेत्र की अधिकता के कारण भिन्न-भिन्न दिखाई पड़ती है।

3.1 उत्तराखंड की जलवायु *(Climate of Uttarakhand)*

उत्तराखंड की जलवायु में काफी विविधता पाई जाती है क्योंकि इसकी भूसंरचना भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न पाई जाती है तथा मौसम में भी हमेशा बदलाव होता रहता है, लेकिन यह प्रदेश शीत जलवायु प्रदेश की श्रेणी में आता है, जो भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है। उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं– अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, औसत ऊँचाई धरातलीय स्वरूप, प्राकृतिक वनस्पति, वायु दिशा आदि। कर्क रेखा प्रदेश के बीचों-बीच से होकर गुज़रती है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में अपेक्षाकृत गर्मी अधिक होती है। "किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के समग्र रूप को जलवायु कहते हैं।"

ऋतुएँ

उत्तराखंड में तीन प्रमुख ऋतुएँ पाई जाती हैं-

- ग्रीष्म ऋतु
- वर्षा ऋतु
- शीत ऋतु

ग्रीष्म ऋतु

- सूर्य जब भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर अग्रसर होता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, यहाँ गर्मी मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। तापमान बढ़ने और घटने पर निचले क्षेत्रों में कभी-कभी वर्षा भी होती है।
- बाह्य हिमालयी या शिवालिक क्षेत्रों में गर्मी का तापमान 29.4 से 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि शिवालिक के दक्षिण और निचली घाटियों में 40 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है। राज्य में सबसे गरम माह जून होता है।

वर्षा ऋतु

वर्षा ऋतु का प्रारंभ मध्य जून से अक्टूबर तक है। परंतु सर्वाधिक वर्षा जुलाई से सितंबर में होती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून से राज्य में वर्षा कम होती है। जबकि बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में राज्य की वार्षिक वर्षा का औसत 150 से 200 सेमी. तक होता है।

राज्य के प्रमुख क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा	
अधिक वर्षा (120–200 सेमी.)	दून/द्वार, काली नदी बेसिन तथा मध्य हिमालय एवं नदी घाटी क्षेत्रों में
अधिकतम वर्षा (200 सेमी.)	शिवालिक तराई एवं भाबर क्षेत्रों में
सबसे कम वर्षा (40–80 सेमी.)	वृहत् हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में

राज्य में पूर्व से पश्चिम व दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है।

राज्य के कुछ प्रमुख स्थानों की सामान्य वार्षिक वर्षा

स्थान	औसत वार्षिक वर्षा (सेमी.)	स्थान	औसत वार्षिक वर्षा (सेमी.)
राजपुर	318.5	कोटद्वार	180

अध्याय
4

उत्तराखंड : अपवाह तंत्र, झीलें, हिमनद व जलप्रपात (Uttarakhand : Drainage System, Lakes, Glacier and Waterfall)

उत्तराखंड राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। यहाँ की अधिकांश नदियों का बहाव दक्षिण या दक्षिण-पूर्व दिशा में है। उत्तराखंड में अनेक नदियों के तंत्र है, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी का तंत्र उत्तर भारत की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। परंतु राज्य के अंतर्गत छोटी-बड़ी अनेक नदी तंत्र हैं।

4.1 उत्तराखंड का अपवाह तंत्र *(Drainage System of Uttarakhand)*

उत्तराखंड का अपवाह तंत्र तीन प्रमुख नदी तंत्रों से मिलकर बना है, जो निम्नलिखित है-

अपवाह तंत्र

यमुना नदी तंत्र | गंगा नदी तंत्र | काली नदी तंत्र

यमुना नदी तंत्र

यमुना नदी

- इन नदी का उदगम स्थल–उत्तरकाशी जिले के बंदरपूँछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद के यमनोत्री कांठा नामक स्थान है। इस नदी की यमुनोत्री से इलाहाबाद तक की लंबाई लगभग 1386 किमी. है, जबकि उत्तराखंड में (यमुनोत्री से धालीपुर तक) इसकी लंबाई मात्र 136 किमी. है।
- इसकी प्रमुख सहायक नदीयाँ है– ऋषिगंगा, कृष्णागाड, बनाड़गाड, हनुमानगंगा, भद्रीगाड, कमलगाड, बरनीगाड, मुगरागाडु, गडोलीगाड, पुज्यारगाडु, टोन्स, खतनुगाडु आदि
- यमुना नदी राज्य के पश्चिमी सीमा में प्रवाहित होती है तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है।

टोंस नदी

इसकी कुल लंबाई 148 किमी है, जो उत्तरकाशी के बंदरपूँछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी हिमनद से उद्गम होने वाली सुपिन नदी और हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलने वाली रूपिन नदी के मिलने से बनी है। ये दोनो नदी आगे कुछ क्षेत्र तक तमसा के नाम से जानी जाती है

- यह उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर प्रवाहित होने के पश्चात् यह कालसी और डाकपत्थर के मध्य यमुना में मिल जाती है।

गंगा नदी तंत्र

गंगा नदी

- भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है तथा इनके संयुक्त रूप को ही गंगा कहा जाता है। उत्तराखंड में गंगा नदी की सहायक नदियाँ– चंद्रभागा नदी, नयार नदी, सौंग नदी, रिस्पना नदी व निदांल नदी है।
- गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया।
- गंगा नदी में डाल्फिन अधिकाशत: पाई जाती है।

अध्याय
5

उत्तराखंड : कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई (Uttarakhand : Agriculture, Animal Husbandry and Irrigation)

कृषि उत्तराखंड का प्रमुख व्यवसाय है। जिसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। राज्य स्थापना के समय कृषि का क्षेत्रफल 7.70 लाख हेक्टेयर था जो घटकर अब 6.98 लाख हेक्टेयर रह गया है।

कुल कृषि क्षेत्रफल के लगभग 50% भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। पर्वतीय क्षेत्रों में केवल 13 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 94 प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल है।

वर्ष 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 14 प्रतिशत था जो वर्ष 2017-18 में 10.50 प्रतिशत हो गया है।

वर्ष 2011-12 में फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी 7.05 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 4.56 प्रतिशत रह गया है।

5.1 कृषि व्यवस्था *(Agriculture System)*

उत्तराखंड एक कृषि संपन्न राज्य है। यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो कृषि, जड़ी-बूटी व वन संपदा से संपन्न क्षेत्र है।

कृषि के प्रकार	
समोच्च कृषि	समोच्च खेती नमी संरक्षण, क्षरण नियंत्रण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक सरल, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली विधि है। इस कृषि को 'कंटूर फॉर्मिंग' भी कहते हैं। ढाल के शीर्ष पर ही ऊँचाई के भिन्न-भिन्न दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को 'कंटूर' कहते हैं। इसमें फसल संबंधी कार्य जैसे हल चलाना, बीज बोना समोच्च पंक्तियों के साथ करते हैं। इस प्रकार समोच्च पंक्तियों में खूंड़ (Furrows) एवं मेंड (Ridges) बन जाते हैं, जो सूक्ष्म जलाशयों की तरह कार्य करते हैं। खूंड़ एवं मेंड अपवाह जल के वेग को कम कर देता है परिणामस्वरूप भूमि को अपवाह (Runoff) सोखने के लिये अत्यधिक समय मिलता है। इस प्रकार अधिकतर अपवाह जल भूमि में चला जाता है और भूमि की नमी के स्तर में वृद्धि करता है। खूंड़ एवं मेड़ से होकर जाने से अपवाह वेग कम होता है, जो मृदा एवं पोषक तत्त्वों के क्षरण को भी नियंत्रित करता है।
सीढ़ीदार कृषि	इस विधि द्वारा ढाल की लंबाई को काटकर, छोटाकर एवं ढाल की तीव्रता को न्यून करके मृदा एवं मृदा नमी का संरक्षण किया जाता है। सीढ़ीदार खेत सिंचाई जल का प्रभावी उपयोग हेतु भी जरूरी है। सीढ़ीदार खेती में अत्यधिक श्रम तथा दक्षता की जरूरत पड़ती है। सीढ़ीदार खेतों को पुराने यंत्रों से जोतना एक कठिन कार्य भी है। इन पर आड़ी जुताई की जाती है।
स्थानांतरणीय कृषि	स्थानांतरण कृषि, जिसे स्थानीय भाषा में झूमिंग (Jhumming) कहते हैं, उत्तर-पूर्व भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों के जीवन यापन का प्रमुख माध्यम हैं। इसमें सबसे पहले किसी स्थान पर स्थित झाड़ियों को साफ किया जाता है और कुछ वर्षों तक कृषि की जाती है तथा जब उस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ दिया जाता है।

पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार

राज्य के कृषि भूमि को मिट्टियों की प्रकृति के आधार पर विभाजित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास की भूमि को 'घरया', ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की भूमि को 'बिचल्या' और वनों से जुड़ी भूमि को 'बुणया' कहते हैं।

अध्याय
6

उत्तराखंड : वन, वन्यजीव एवं वन आंदोलन (Uttarakhand : Forest, Wildlife and Forest Movement)

वनों से संबंधित भारत का प्रथम कानून (First Law) वर्ष 1865 में भारतीय वन अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् वनों में कमी आई है। इसके पश्चात् वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिये वर्ष 1884 में कार्य योजना वन विभाग लागू किया गया।

केंद्रीय वानिकी परिषद् की स्थापना वर्ष 1948 में की गई। वर्ष 1950 से संपूर्ण देश में वन महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य वनों का विस्तार, संरक्षण, रख-रखाव और उनके फायदों के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

नए तरीके से वनों के संरक्षण, विकास और प्रशासन के लिये वर्ष 1952 में नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई और बाद में कुछ संशोधनों के साथ 1998 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई।

इस नीति के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-

- राज्य में वन्य प्राणियों और जैव-विविधता के संरक्षण की कार्ययोजना और रणनीति तैयार कर उसे क्रियान्वित करना।
- कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना।
- पारिस्थितिकीय पर्यटन को लोकप्रिय बनाने हेतु जैव विविधता वाले क्षेत्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- वन अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को राज्य में विस्तृत करना।
- सूचनाओं के लिये कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र को विकसित करना।
- राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अंतर्गत देश के संपूर्ण क्षेत्रफल के 33% भाग पर वनों का होना आवश्यक है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में कम-से-कम 60 प्रतिशत एवं मैदानी भागों में कम-में-कम 25% भाग पर वनों का होना आवश्यक है।

6.1 उत्तराखंड में वन *(Forest in Uttarakhand)*

- भारत में वनों की स्थिति पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 15वीं रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2017 12 फरवरी को जारी की गई।
- अक्टूबर-दिसंबर 2015 के अनुसार राज्य में कुल वन क्षेत्रफल 24,295 वर्ग किमी. है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.43% है जिसमें से अति सघन वन 4969 (9.29%) वर्ग किमी. मध्यम सघन वन 12,884 वर्ग किमी. (24.09%) एवं 6,442 (12.4%) वर्ग किमी. खुले वन है।
- राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल 38000 वर्ग किमी. है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। वनों की वृद्धि, विकास और रख-रखाव के प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को 3 भागों में बाँटा गया है।

वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण

आरक्षित वन | संरक्षित वन | अवर्गीकृत वन

आरक्षित वन

- उत्तराखंड में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल लगभग 26546.8 वर्ग किमी. है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 69.86% है।
- आरक्षित वनों में लकड़ी काटना, पशुचारण, आवागमन पूर्णतः निषेध होता है।
- आरक्षित वन का प्रबंधन प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है।

अध्याय

7

उत्तराखंड : खनिज संसाधन (Uttarakhand : Mineral Resources)

खनिज की दृष्टि से उत्तराखंड में अन्य राज्यों की अपेक्षा खनिज संसाधनों का अभाव है। इस राज्य में खनिज और उपखनिज, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, दून और नदी घाटियों आदि में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में खनिजों के सर्वेक्षण और खोज के लिये भूतत्त्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का गठन किया गया है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संगमरमर, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, खड़िया (चॉक) तथा फास्फोरस इत्यादि हैं, उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा राज्य में खनिजों का नियंत्रण और खनन किया जाता है।

7.1 खनिज वितरण *(Mineral Distribution)*

विशिष्ट शैल समूहों के द्वारा प्रदेश में खनिजों का वितरण निर्धारित किया जाता है, परंतु शैल समूह का वितरण समान नहीं होने के कारण प्रदेश में खनिजों के वितरण में असमानता पाई जाती है। प्रदेश में खनिजों का विवरण निम्नानुसार है–

प्रमुख खनिज	
मैग्नेसाइट	राज्य के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में मैग्नेसाइट का विशाल भंडार है। यह क्षेत्र राज्य के साथ-साथ देश में भी प्रमुख स्थान रखता है। इस खनिज का प्रयोग लौह इस्पात और सीमेंट कारखानों में विशाल भट्ठियों में तापसह ईंटों के रूप में किया जाता है। इन ज़िलों के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं– अल्मोड़ा ज़िले में कंडा, मसौली, अरियापानी, चिमनी, हरप, बौरी क्षेत्र। बागेश्वर ज़िले में देवलधार क्षेत्र। पिथौरागढ़ ज़िले में देवल थाल, बोरा आगर, दासिलखेत, थाल, चंडाक क्षेत्र। चमोली ज़िले में तपोबन, गुलाबकोटी, हेलंग, पल्ला, भंडारा, तरकताल क्षेत्र।
टॉल्क (सोप स्टोन)	यह खनिज बहुत मुलायम होता है जो राज्य के अल्मोड़ा, चमोली, मंदाकिनी घाटी, पिथौरागढ़ ज़िलों में पाया जाता है। इस खनिज का सर्वाधिक प्रयोग टेल्कम पाउडर, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट्स, साबुन, वस्त्र उद्योग, कीटनाशक पाउडर तथा कागज आदि में किया जाता है।
जिप्सम	इस खनिज का उपयोग सीमेंट, गंधक व अमोनियम सल्फेट बनाने में किया जाता है। राज्य में यह खनिज देहरादून के मसूरी, सहस्रधारा, मंझार क्षेत्र। नैनीताल में खुरपाताल, धपीला और सोनारमीरा क्षेत्र। पौड़ी और टिहरी गढ़वाल में खरारी चट्टी, गरूर चट्टी, गुग्थानी, माहीपुर, रंगरंगोंन क्षेत्र तथा अल्मोड़ा में पाया जाता है।
सिलिकसैंड (सीसा)	यह खनिज राज्य के उत्तरकाशी में मुख्यत: पाया जाता है। इसके अलावा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में पाया जाता है। उत्तरकाशी के सथंग और देवधर क्षेत्र। अल्मोड़ा के चैनापानी, राई, पट्टी खराही और विलौन क्षेत्र। पिथौरागढ़ के देवलगढ़, चंडाक भैसवाल और रालम आदि क्षेत्र। देहरादून के टोंस घाटी क्षेत्र के कुमा-बुरेल तथा मुघौला में सीसा पाया जाता है।
चूना पत्थर	राज्य में चूना पत्थर के निक्षेप देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, चमोली आदि ज़िलों में पाए जाते हैं। देहरादून ज़िले में स्थित बारकोंट क्षेत्र और मंदारम क्षेत्र में उत्तम श्रेणी के चूने पत्थर का भंडार है, जो सीमेंट उत्पादन के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है। राज्य के मसूरी क्षेत्र में भारी और सख्त क्रीम रंग के पत्थर का प्रचुर भंडार है। टिहरी ज़िला: नागिनी और लोरानी क्षेत्र।

अध्याय
8

उत्तराखंड : औद्योगीकरण (Uttarakhand : Industrialization)

उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था। परंतु विषम भौगोलिक परिस्थितियों, राजनीतिक एवं अन्य कारणों से इस क्षेत्र में उद्योगों की दृष्टि से पर्याप्त विकास नहीं हो पाया।

राज्य में अवस्थापना सुविधाओं की पूर्ति के लिये निवेशकों को निवेश हेतु आकर्षित करने, औद्योगिक पुनर्गठन, सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार तथा उद्योग कार्य प्रणाली अधिक प्रभावी बनाने के कई मुद्दों पर विचार किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत भारत सरकार से उत्तराखंड राज्य के लिये वर्ष 2003 में विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज प्राप्त हुआ था, जिसके फलस्वरूप राज्य में औद्योगिकीकरण का प्रसार हुआ।

वर्ष 1999-2000 में नवसृजित राज्य उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र का अंश जो मात्र 19.7 प्रतिशत था, वर्ष 2017-18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वह बढ़कर 37.57 प्रतिशत हो गया है।

8.1 उत्तराखंड के प्रमुख उद्योग *(Major Industry of Uttarakhand)*

परंपरागत उद्योग

राज्य सरकार निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ क्लस्टर अभिगम के माध्यम से परंपरागत उद्योगों के विकास के लिये प्रयास करेगी। इन क्लस्टरों में गुणवत्ता उन्नयन, प्रौद्योगिकी और डिज़ाइन उन्नयन, विपणन संवर्धन और कौशल संवर्धन के लिये सामान्य सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

- **हस्तशिल्प:** उत्तराखंड में अनेक हस्तशिल्प उद्योग हैं, उदाहरणार्थ– कालीन बुनाई, काष्ठ पच्चीकारी, पीतल के बर्तन और तांबा आधारित उद्योग जो निष्क्रिय पड़े रहे हैं। इन उद्योगों के पुनर्जीवन के लिये सरकार पर्याप्त अग्रगामी और पश्चगामी संपर्कों को सुनिश्चित करने में एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाएगी। इसके साथ-साथ मास्टर शिल्पकारों से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा और इन स्थानों को 'शिल्प ग्रामों' के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत सरकार की 'बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना' से भी सहायता प्राप्त की जाएगी जिसका लक्ष्य एकीकृत क्लस्टर अभिगम के माध्यम से और शिल्पकारों को स्वयं-सक्षम बनाकर हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास करना है।
- **हथकरघा:** दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों अथवा पंजीकृत समूहों को लाभ प्रदान करने के लिये कार्रवाई की जाएगी। इन समूहों के सदस्यों को आधुनिक करघे और डिज़ाइन प्रदान करने के साथ-साथ प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। उनके उत्पादों के विपणन की सुगमता के लिये कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार एकीकृत हथकरघा कॉम्प्लेक्सों के विकास का भी प्रस्ताव करती है जहाँ डाइंग, कार्डिंग, डिज़ाइनों के विकास आदि के लिये सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
- **काष्ठ आधारित उद्योग:** जनसंख्या का एक बड़ा भाग भेड़-पालन और ऊन उत्पादन में लगा है। यद्यपि, ऊन उद्योग एक एकीकृत रूप में विकसित नहीं हुआ है। इस उद्योग के विकास के लिये अच्छी गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की उपलब्धता, ऊन प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, गुणवत्ता और डिज़ाइन उन्नयन, विपणन प्रबंधों की सुदृढ़ता और संस्थागत वित्त के संचलन पर विशेष बल देने का प्रस्ताव किया जाता है। गैर-परंपरागत पशु ऊन धागों को भी प्रोत्साहित और विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार वानस्पतिक धागों के विकास के लिये भी प्रयास किये जाएंगे। एक ऊन बैंक और ऊन नीलामी यार्डों की भी स्थापना की जाएगी।
- **खादी और ग्रामोद्योग:** खादी और ग्रामोद्योगों, कुटीर उद्योगों तथा अति लघु उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। पैकेजिंग और विपणन के लिये सामान्य सुविधा केंद्रों को विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रयासों को देखते हुए, भारत सरकार ने 'घरातों' को एक कुटीर उद्योग घोषित कर दिया है। यह घरात ग्रामीण क्षेत्रों में अति लघु उद्योगों के विकास के लिये एक धुरी के रूप में कार्य करेंगे।

अध्याय
9

उत्तराखंड : ऊर्जा संसाधन
(Uttarakhand : Energy Resources)

किसी भी राज्य के विकास में ऊर्जा संशोधनों का अत्यधिक महत्त्व होता है। राज्य में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, जैसे– खनिज तेल, प्राकृतिक तेल, कोयला आदि के सीमित भंडार हैं, लेकिन इनमें जल का भंडार अधिक है। इस कारण राज्य में जल-विद्युत की अपार संभावनाएँ हैं। आर्थिक विकास में विद्युत एवं महत्त्वपूर्ण घटक होता है।

9.1 उत्तराखंड में विद्युत से संबंधित प्रमुख संगठन
(Major Organisations Related to Electricity in Uttarakhand)

1 अप्रैल, 2001 को उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड का गठन उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। इसके अलावा तीन अलग निगमों का गठन किया गया है जो विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण का कार्य करते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं–

उत्तराखंड जल-विद्युत निगम लिमिटेड	1 अप्रैल, 2001 को इस निगम का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जल का अधिक उपयोग करके जल-विद्युत उत्पादन को बढ़ाना है। वर्तमान में 20 से ज़्यादा जल-विद्युत उत्पादन केंद्र इस निगम के नियंत्रण में हैं।
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य इक्विटी अंशभागिता 75:25 के अनुपात में है। कंपनी का गठन 12 जुलाई 1988 में 2400 मेगावाट के टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्पलेक्स तथा अन्य जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिये किया गया था। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का प्रारंभिक अधिदेश 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर काम्पलैक्स (1000 मे.वा. टिहरी बाँध एवं एचपीपी, 1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट एवं 400 मेगावाट कोटेश्वर एचईपी सहित) तथा अन्य जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिये था।
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड	इसका गठन 27 मई, 2004 को हुआ। इसने अपना कार्य 1 जून, 2004 से प्रारंभ किया। राज्य के बिजली ट्रांसमिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसका गठन किया गया था।
उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलमेंट एजेंसी	यह एजेंसी राज्य में गैर-परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर कार्य करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जुलाई 2001 में विशेषकर अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिये स्थापित की गई है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में है। इसके अलावा, यह एजेंसी अपने स्वयं के कार्यक्रम तैयार करती है और लागू करती है जो विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य के लिये उपयुक्त हैं और कई तरह के सिस्टम विकसित किये गए हैं, जिन्हें अब राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्वीकार किया गया है।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग	राज्य में विद्युत व्यापार के विनियम तथा विद्युत दरों के निर्धारण के लिये इस आयोग का गठन किया गया है।

अध्याय
10

उत्तराखंड : परिवहन तंत्र (Uttarakhand : Transport System)

परिवहन साधनों का महत्त्व किसी प्रदेश के विकास के लिये उतना ही होता है, जितना शरीर में रक्त धमनियों का होता है। राज्य में उपलब्ध खनिज, वनोपज, कृषि उपज, उपभोक्ता वस्तुओं एवं जनसामान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिये रेल एवं सड़क मार्गों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। राज्य में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से यातायात मार्गों एवं परिवहन संसाधनों का विशेष महत्त्व है। उत्तराखंड में परिवहन के तीन मुख्य साधन हैं।

परिवहन के मुख्य साधन

- सड़क मार्ग
- रेल मार्ग
- वायु मार्ग

10.1 सड़क मार्ग *(Roadway)*

आवागमन हेतु राज्य में सड़कों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जटिल भौगोलिक संरचना के कारण राज्य का 60% भूभाग पर ही सड़कों का निर्माण हुआ है। यहाँ 85% से अधिक यातायात सड़कों के अंतर्गत आता है। राज्य में गढ़वाल मंडल में सड़कों की संख्या एवं लंबाई अधिक है। वर्ष 2016-17 में राज्य में कुल सड़कों की अस्थाई 43762 किमी. है। तथा उसमें सुधार हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्य लोक निर्माण विभाग की विभिन्न श्रेणी के मार्गों की लंबाई का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है-

राज्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लंबाई

वर्ष	लोक निर्माण विभाग	स्थानीय निकाय के अधीन	सीमा सड़क, वन सड़क एवं अन्य सड़क	कुल योग (किमी.)
मार्च 2016-17	33088 किमी.	3532.किमी.	7142. किमी.	43762 किमी.

उत्तरांखड में सड़कों की स्थिति

सड़कों की कुल अस्थाई	43762
प्रति हजार वर्ग किमी क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई	789.42 किमी.
प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लम्बाई	403.69 किमी.

राज्य में सड़क परिवहन से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाएँ तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं–

1. सड़कों के निर्माण व संरक्षण में लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन, डी.जी.बी.आर. ज़िला परिषद वन विभाग और नगरपालिका आदि संस्थाएँ योगदान करती हैं।
2. राज्य में राज्य सड़क परिवहन निगम, कुमाऊँ मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम आदि राजकीय कंपनियों द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है।
3. राज्य में सड़क यातायात के अधिकांश भाग पर गढ़वाल मोटर यूजर्स को-आपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, सीमांत सहकारी संघ तथा कुमायूँ मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड आदि निजी कंपनियों का विस्तार है।
4. एशिया के प्रमुख यातायात कंपनियों में गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड उनमें से एक है। वर्ष 1941 में कोटद्वार (पौड़ी) में इसकी स्थापना हुई। ऋषिकेश में इसका एक कार्यालय भी है।
5. वर्ष 1939 में कुमाऊँ मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना काठगोदाम में हुई थी। इसके दो कार्यालय हैं- एक, रामनगर; दूसरा, टनकपुर में स्थित है।

अध्याय 11

उत्तराखंड : राज्यव्यवस्था एवं प्रशासन (Uttarakhand : Polity and Administration)

- उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर, 2000 को (उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा) भारत के 27वें राज्य के रूप में हुई।
- अपनी स्थापना के समय इसका नाम 'उत्तरांचल' था, जिसे (उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम, 2006 के द्वारा) 1 जनवरी, 2007 से उत्तराखंड कर दिया गया।
- अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी ज़िलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ।
- संविधान के अनुसार उत्तराखंड में केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था लागू है।

क्रम.सं.	मंडल	स्थापना का वर्ष	मुख्यालय	सम्मिलित ज़िले
1.	कुमाऊँ	1854	नैनीताल	नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़
2.	गढ़वाल	1969	पौड़ी	हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली

उत्तराखंड शासन

कार्यपालिका | विधानमंडल | न्यायपालिका

11.1 कार्यपालिका *(Executive)*

- संविधान के भाग-6 के अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका से संबंधित हैं।
- राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता को शामिल किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र में जिस तरह उपराष्ट्रपति कार्यालय होता है वैसे राज्य में कोई उपराज्यपाल का कार्यालय नहीं होता है।

राज्यपाल

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह बाध्यकारी नहीं होती है।

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति जब भी चाहे राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है या किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है।
- राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में उस उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है।
- उत्तराखंड के राज्यपाल को कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ आदि प्राप्त हैं।

अध्याय 12

उत्तराखंड : ऐतिहासिक परिदृश्य
(Uttarakhand : Historical Scenario)

उत्तराखंड गौरवपूर्ण इतिहास से परिपूर्ण एक पहाड़ी राज्य है। अपनी प्राकृतिक विशेषताओं के साथ ही राज्य का पौराणिक इतिहास भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र तीर्थयात्रियों, तपस्वियों व राजाओं को आकर्षित करता रहा है। राज्य के इतिहास को कालक्रमानुसार निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है–

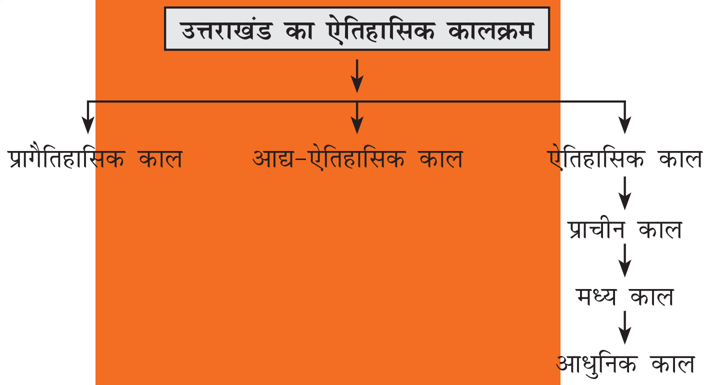

प्रागैतिहासिक काल

राज्य में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित विभिन्न साक्ष्य, जैसे- पाषाणोपकरण, शैल-चित्र, गुफा, मृद्भांड, धातु-उपकरण तथा कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनसे मानव निवास की पुष्टि होती है। इस काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं–

- लाखू गुफा, जो अल्मोड़ा के बाड़ेछीना के निकट दलबैंड पर है, से पशुओं और मानव के चित्रों की प्राप्ति हुई। यहाँ मानव आकृतियों को नृत्य करते दिखाया गया है।
- किमनी गाँव, जो कि चमोली के थराली के पास स्थित है, की गुफा में हल्के सफेद रंग से चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैलचित्र मिले हैं।
- ग्वारख्या गुफा, जो कि चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुग्री गाँव के निकट स्थित है, से भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी एवं मानव के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं।
- मलारी गाँव, जो कि चमोली ज़िले में सुदूर तिब्बत की सीमा के निकट है, से मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल, जानवरों के अंग तथा सोने का मुखावरण (5.2 किग्रा. का) मिले हैं। विद्वानों के अनुसार, यह लगभग ईसा के 2000 वर्ष पूर्व से 6वीं शती ईसा पूर्व तक है।
- हुडली उत्तरकाशी में स्थित है, यहाँ से प्राप्त शैलचित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है।
- ल्वेथाप अल्मोड़ा में स्थित है, यहाँ के शैलचित्रों में मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते तथा शिकार करते दिखाया गया है।
- फलसीमा अल्मोड़ा के निकट स्थित है, यहाँ से नृत्य तथा योग मुद्रा वाली मानवाकृतियाँ मिली हैं।
- कफ्फरकोट, जो कि पूनाकोट एवं पेटशाल गाँव के मध्य स्थित है, से प्राप्त नृत्यरत मानवाकृतियाँ कत्थई रंग से रँगी है।
- पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से 8 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं।
- रामगंगा घाटी से राज्य में शवगार एवं कपमार्क्स मिले हैं।
- इस काल में मानव सामान्यत: गुफाओं में निवास करता था तथा अपने भोजन के लिये फलों, कंदों का संग्रहण तथा शिकार करता था।

अध्याय 13

उत्तराखंड : जनगणना
(Uttarakhand : Census)

जनगणना संघ सूची का विषय है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद-246 में की गई है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना की महत्ता को देखते हुए संघ सरकार ने 1961 में 'जनगणना विभाग' की स्थापना की जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ब्रिटिश भारत में 1872 ई. के लार्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई तथा 1881 ई. में लार्ड रिपन के कार्यकाल से इसने निरंतरता प्राप्त की। भारत सरकार द्वारा धारा इस परंपरा को जारी रखते हुए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर देश की जनगणना करवाई जाती है।

- 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड जनसंख्या के मामले में 20वें स्थान पर है।
- प्रदेश की कुल जनसंख्या – 1,00,86,292
  - पुरुष जनसंख्या – 51,37,773 (50.93%)
  - महिला जनसंख्या – 49,48,519 (49.07%)
- राज्य की कुल जनसख्या का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश के कुल क्षेत्रफल का 1.63% है।
- जनगणना 2001 में राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 63,10,275 (74.33%) व नगरीय जनसंख्या 21,79,074 (25.67%) थी।
- जनगणना 2011 में राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 70,36,954 (69.8%) व नगरीय जनसंख्या 30,49,338 (30.23%) है।
- इस प्रकार 2001-2011 के मध्य नगरीकरण में 4.56% की वृद्धि हुई है।
- राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला – हरिद्वार (18.74%)
- राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला – रुद्रप्रयाग (2.40%)

प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले व प्रतिशत			प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले व प्रतिशत		
हरिद्वार	18,90,422	18.74%	रुद्रप्रयाग	2,42,285	2.40%
देहरादून	16,96,694	16.82%	चंपावत	2,59,648	2.57%
ऊधमसिंह नगर	16,48,902	16.35%	बागेश्वर	2,59,898	2.58%
नैनीताल	9,54,605	9.46%	उत्तरकाशी	3,30,086	3.27%
पौड़ी गढ़वाल	6,87,271	6.81%	चमोली	3,91,605	3.88%
अल्मोड़ा	6,22,506	6.71%	पिथौरागढ़	4,83,439	4.79%

नोट: जनगणना 2011 के अनुसार टिहरी गढ़वाल ज़िले की जनसंख्या 6,18,931 है जिसका प्रतिशत 6.13% है।

ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या

- दशक 2001-2011 के मध्य नगरीकरण में 4.56% की वृद्धि हुई है।
- देश के सभी राज्यों में नगरीकरण में उत्तराखंड का स्थान 20वाँ है।

प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले		प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण जनसंख्या वाले ज़िले	
बागेश्वर	96.51%	देहरादून	55.52%
रुद्रप्रयाग	95.90%	नैनीताल	38.94%
उत्तरकाशी	92.64%	हरिद्वार	36.66%

अध्याय 14

उत्तराखंड : शिक्षा, भाषा व साहित्य (Uttarakhand : Education, Language and Literature)

"शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति तथा बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में अंतर्निहित श्रेष्ठतम शक्तियों को प्रकाश में लाना है।"

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

शिक्षा पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ये शब्द व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की महत्ता को अभिव्यक्त करते हैं। शिक्षा व्यक्ति के चहुँमुखी विकास को प्रशस्त करने का मार्ग है तथा मानवीय विकास का मार्ग शिक्षा के माध्यम से गुज़रता है।

मानव विकास सूचकांक (Human Development Index–HDI) के आकलन में एक प्रमुख सूचक ज्ञान के 2 उपसूचक हैं:- स्कूलिंग के प्रत्याशित वर्ष तथा स्कूलिंग के औसत वर्ष। वर्ष 2030 तक "सभी के लिये समान समावेशी एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना।" संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) का महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है।

14.1 शिक्षा *(Education)*

विगत 5 दशकों में साक्षरता के क्षेत्र में उत्तराखंड में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1961 में उत्तराखंड में साक्षरता दर 18 प्रतिशत थी, जो 2011 में 4 गुने से अधिक बढ़कर 78.8 प्रतिशत हो गई है। राज्य में साक्षरता में सुधार की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च रही है। यद्यपि केरल तथा हिमाचल प्रदेश की तुलना में राज्य की साक्षरता कम है, तथापि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की (67.7 प्रतिशत) तुलना में राज्य की साक्षरता दर 11 प्रतिशत अधिक है।

जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड की कुल साक्षरता 71.6 प्रतिशत थी जिसमें पुरुष साक्षरता 83.3 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 59.6 प्रतिशत थी। शिक्षा तथा साक्षरता वृद्धि के सरकार के बहुविध प्रयासों से 2011 में उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.8% हो गई, जिसमें पुरुष साक्षरता 87.4 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 70 प्रतिशत थी।

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसके विकास के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार सतत् प्रयास कर रही हैं। वर्ष 2004-05 में शिक्षा पर राज्य सरकार का कुल बजट परिव्यय ₹ 1156.79 करोड़ था, जो वर्षवार बढ़ते हुए 2017-18 में ₹6720.45 करोड़ हो गया है। शिक्षा पर निरपेक्ष बजट निरंतर बढ़ने के बावजूद राज्य के कुल बजट के सापेक्ष 2010-11 में 22.12 उच्चतम से उत्तरोत्तर घटते हुए 2017-18 में 16.82 प्रतिशत हो गया है। साथ ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर बजट परिव्यय 2004-05 में 4.67 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 3.09 प्रतिशत रह गया है।

प्राथमिक शिक्षा

प्रदेश में 15179 राजकीय विद्यालय हैं, जिनमें 754816 विद्यार्थी नामांकित हैं तथा 38149 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि निजी/प्राइवेट विद्यालय 4469 हैं, जिनमें 923857 विद्यार्थी नामांकित हैं तथा 29438 शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य में प्राथमिक शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 103.44 है।

असर (Annual Status of Education Report), 2016 की रिपोर्ट में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित मुख्य परिणाम निम्नलिखित हैं-

- 95.6 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहाँ मध्याह्न भोजन बनाने के लिये रसोई सुविधा उपलब्ध है।
- 14 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पेयजल की कोई सुविधा नहीं थी तथा 13.7 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पेयजल की सुविधा है परंतु पेयजल उपलब्ध नहीं है।
- 28 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शौचालय की कोई सुविधा नहीं है तथा 22.4 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शौचालय की सुविधा है परंतु शौचालय प्रयोग करने योग्य नहीं है।
- 17.4 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहाँ लड़कियों के लिये कोई अलग शौचालय की सुविधा नहीं है तथा 10 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहाँ सुविधा तो है परंतु ताला लगा था। 11.4 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहाँ सुविधा है परंतु प्रयोग करने योग्य नहीं है।
- 13.1 प्रतिशत विद्यालय विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पुस्तकालय नहीं हैं।

अध्याय 15

उत्तराखंड : पर्यटन
(Uttarakhand : Tourism)

उत्तराखंड, उत्तरी भारत में स्थित एक हिमालयी और मैदानी राज्य है, यह मुख्यत: हिन्दू तीर्थस्थल स्थलों के लिये जाना जाता है। यहाँ के ऋषिकेश, योग अध्ययन के लिये एक प्रमुख केंद्र जो वर्ष 1968 में बीटल्स की यात्रा से प्रसिद्ध था। यहाँ पवित्र गंगा नदी पर एक आध्यात्मिक सभा का आयोजन तथा शाम को गंगा आरती का आयोजन होता है। धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की दृष्टि से उत्तराखंड एक संपन्न राज्य है। राज्य सांख्यिकी डायरी 2014-15 के अनुसार यहाँ कुल 327 पर्यटन स्थल हैं। उत्तराखंड राज्य की आय तथा रोज़गार का प्रमुख साधन पर्यटन है और पर्यटन विकास के लिये अनेक कार्ययोजना और नीतियाँ तैयार की गई हैं और कुछ नीतियों पर प्रयास जारी हैं।

पर्यटन नीति

राज्य के गठन के दौरान अंतरिम सरकार ने 26 अप्रैल, 2001 को उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा की। उसके पश्चात् उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) ने 2013 में विश्वस्तरीय अवसंरचना की स्थापना और अधिक निजी खिलाड़ियों को आकर्षित करने और नए पर्यटन स्थलों की पहचान के उद्देश्य से अपनी पहली पर्यटन नीति शुरू की थी। वर्तमान में उत्तराखंड पर्यटन नीति-2017 लागू की गई है। राज्य के स्थानीय समुदाय के लिये उत्तराखंड की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिये कई अवसर मौजूद हैं, पर्यटन द्वारा बढ़ी हुई राजस्व, रोज़गार सृजन और पर्यटन को एकीकृत करने के लिये जीवन के एक मार्ग के रूप में प्रदर्शित कर रही है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी गतिशीलता के परिणामस्वरूप मौजूदा नीति की रूपरेखा को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। पर्यटक विभाग अद्वितीय पर्यटन उत्पादों और स्थलों की खोज में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस प्रकार उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिये ,एक व्यापक नीति पेश करना ज़रूरी है जिससे टिकाऊ विकास को सक्षम किया जा सके। इस नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-

- पर्यटन द्वारा प्रदेश की सांस्कृतिक विविधताओं एवं संभावनाओं को उजागर करना है।
- इको टूरिज़्म को प्रोत्साहित करना ताकि पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अनुरूप बनाना।
- निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाना ताकि पर्यटकों को उनकी रुचि और आर्थिक क्षमता के अनुरूप सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।
- सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना।
- मनोरंजन पर्यटन के अतिरिक्त संस्थागत एवं साहसिक पर्यटन का विकास करना।
- उत्तराखंड पर्यटन विकास योजना का क्रियान्वयन स्वरोज़गार के उद्देश्य से करना।
- पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि का प्रयास करना।

पर्यटन संबंधी कार्य योजनाएँ एवं ढाँचे	
धरती का स्वर्ग	राज्य में पर्यटन का दीर्घकालीन, सुनियोजित व सतत् विकास करते हुए इसे धरती का स्वर्ग प्रदर्शित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है।
पीपीपी मॉडल	पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु लोक निजी सहभागिता (पीपीपी मॉडल) पर ढाँचागत सुविधाएँ विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
पर्यटन वर्ष	पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार ने वर्ष 2001 एवं 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया था।
सिंगापुर मॉडल	पर्यटन नीति के अंतर्गत राज्य पर्यटन क्षेत्रों के अनुरूप मॉडल विकसित करना है।

अध्याय 16

उत्तराखंड : कला एवं संस्कृति (Uttarakhand : Art and Culture)

उत्तराखंड की कला और संस्कृति इस प्रदेश की जलवायु एवं मौसम पर आधारित है। यहाँ की कला एवं संस्कृति प्राचीन से ही प्रसिद्ध है। क्योंकि संस्कृति से मानव समूह दूसरे मानव समूह से अलग दिखता है, इसलिये प्रत्येक संस्कृति का अपना एक विशिष्ट महत्त्व होता है। उत्तराखंड में कला, विश्वास, धर्म, अचार, त्यौहार, पर्व, उत्सव इत्यादि जैसे सांस्कृतिक तत्त्व का एक अलग पहचान है।

16.1 उत्तराखंड की कला *(Art of Uttarakhand)*

प्राचीन गुफा चित्र कला

राज्य में चित्रकला के प्राचीनकालीन नमूने शैल चित्र के रूप में हुडली, लाखु, किमनी गाँव, ग्वारख्या, ल्वेथाप, पेटशाल, प्राचीनतम आदि गुफाओं में देखने को मिलते हैं।

उत्तराखंड के कुछ प्राचीनतम कला-स्थल निम्नवत है-

- मानव को अकेले व समूह में नृत्य करते हुए अल्मोड़ा के लाखु गुफा के शैल चित्र में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पशुओं के भी चित्र अंकित है। इन चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है।
- चमोली के ग्वारख्या की गुफा में कई जानवरों के चित्र मिलते हैं, जो लाखु के चित्रों से अधिक चमकदार है।
- चमोली के किमिनी गाँव के शैलचित्र में पशुओं एवं हथियार के चित्र है, जिन्हें सफेद रंग से रंगा गया है।
- अल्मोड़ा के ल्वेथाप के शैलचित्र में लोगो को शिकार करते हुए व हाथों में हाथ डाल कर नाचते हुए दिखया गया है।
- उत्तरकाशी के हुडली गुफा के शैलचित्र में नीले रंग से रंगा गया है।

मध्य एवं आधुनिक कला

16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य राज्य में चित्रकला की 'गढ़वाली शैली' का प्रचलन था। गढ़वाली शैली, पहाड़ी शैली का ही एक भाग है, जिसका विकास गढ़वाल नरेशों के संरक्षण में हुआ।

सन् 1658 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के शासन काल में मुगल शहजादा सुलेमान शिकोह ने अपने राज दरबार के दो चित्रकारो (तुँवर श्यामदास और उनका पुत्र हरदास को गढ़वाल लेकर आया और इन्हें यहीं छोड़ दिया। इनके वंशज गढ़वाल-शैली को बढ़ाने में लगे रहे।

हरदास का पुत्र हीरालाल का पुत्र मंगतराम एवं मंगतराम का पुत्र मोलाराम तोमर था। मोलाराम अपनी चित्रशाला में कला साधना में विलिन रहे।

मोलाराम के पश्चात गढ़वाल-शैली की अवनति होने लगी, उनके वंशज, शिवराम, आत्माराम, अजबराम, तेजराम, ज्वालाराम आदि गढ़वाल-शैली के अवनति-कालीन चित्रकार हुए।

मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने सर्वप्रथम बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने रखा।

प्रमुख चित्र संग्रहालय

- मोलाराम आर्ट गैलरी - श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)
- महाराज नरेंद्रशाह संग्रह - नरेंद्र नगर (टिहरी)
- कुंवर विचित्र शाह संग्रह - टिहरी
- राव वीरेंद्र शाह संग्रह - देहरादून
- गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय - श्रीनगर
- गिरिजा किशोर जोशी संग्रह - अल्मोड़ा

अध्याय 17

उत्तराखंड : अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ एवं उनकी संस्कृति (Uttarakhand : Scheduled Castes, Tribes and their Culture)

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों की जनसंख्या 21,84,419 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21.7% है।

अनुसूचित जातियाँ

- राज्य सरकार द्वारा 65 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है।
- सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला ज़िला- हरिद्वार (4,11,274)।
- सबसे कम अनुसूचित जाति वाला ज़िला- चंपावत (47,383)।
- सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला ज़िला- बागेश्वर (27.73%)।
- सबसे कम अनुसूचित जाति वाला ज़िला- देहरादून (13.49%)।
- राज्य की अनुसूचित जातियों में औसत साक्षरता 74.4% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 84.3% एवं महिला साक्षरता 64.1% है।
- राज्य विधानसभा (70 सदस्यीय) में 13 सीटें अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित हैं।
- राज्य के लिये आबंटित लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है।
- राजकीय सेवाओं व शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये 19% आरक्षण का प्रावधान है।
- प्रमुख अनुसूचित जातियाँ- बैगा, बहेलिया, बादी, बधिक, अगरिया, बाल्मिक, बलाई, बलहर, बाजगी, बजनिया, बैसवार, बसोर, बरवार, बंसफोर, वनमानुष, बंगाली, भुइयार, भुइया, बुंतु, बेदिया, बेलदार, बावरिया, चेरी, चमार (बुसिया, झुसिया व जाटव), बोदिया, डोमर, डोम, धोबी, धरकार, धानुक, धागड़, दबगर, हरी, हबुड़ा, ग्वाल, गौड़, धारिया, धरमी, दुसाध मझवार, सहरिया, नट, पंखा, पतरी, सहरिया आदि।

अनुसूचित जातियाँ
• कुल जनसंख्या - 18,92,516
• राज्य की कुल जनसंख्या - 18.8
• पुरुष जनसंख्या - 9,68,586 (51.17%)
• महिला जनसंख्या - 9,23,930 (48.82%)
• लिंगानुपात - 936

अनुसूचित जनजातियाँ

- राज्य में मुख्यतः निवास करने वाली जौनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया व राजी जातियों को वर्ष 1967 में ही अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था।
- इन 5 जनजातियों में से सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की तथा सबसे कम जनसंख्या राजी की है।
- सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला- ऊधमसिंह नगर (1,23,037)।
- सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला- रुद्रप्रयाग।
- सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला- ऊधमसिंह नगर (7.46%)।
- सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला- टिहरी (0.14%)।
- राज्य की अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता 73.9% है, जिसमें महिला साक्षरता 83.8% तथा पुरुष साक्षरता 62.5% है।
- सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला ज़िला- रुद्रप्रयाग।
- सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला ज़िला- हरिद्वार।

अनुसूचित जनजातियाँ
• कुल जनसंख्या - 2,91,903
• राज्य की कुल जनसंख्या - 2.9
• पुरुष जनसंख्या - 1,48,669 (50.93%)
• महिला जनसंख्या - 1,43,235 (49.07%)
• लिंगानुपात - 963

अध्याय

18

उत्तराखंड : खेल, पुरस्कार एवं सम्मान (Uttarakhand : Sport, Award and Honours)

उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर, 2000 को हुआ। इस राज्य में खेलों के प्रति रुझान शुरू से ही रहा है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के पूर्व से ही यह क्षेत्र प्रतिभावान खिलाड़ियों की दृष्टि से समृद्ध रहा है। इस राज्य ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्त्वपूर्ण खिलाड़ियों को जन्म दिया है। उत्तराखंड सरकार ने खेल प्रतिभाओं को और उत्कृष्ट करने के लिये अनेक कदम उठाए हैं, ताकि लोगों के खेल के प्रति जागृति पैदा हो। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है।

- खेल अकादमी की स्थापना 2001 में देहरादून में की गई।
- इंडोर स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण बागेश्वर में किया गया।
- महाराणा प्रताप एवं अगस्तमुनि में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई जो देहरादून में स्थित है।
- राज्य का पहला खेल महोत्सव 2001 में देहरादून, रुड़की एवं हरिद्वार में मनाया गया।
- देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज का विस्तार किया गया।
- ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी में एक-एक युवा केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं।
- उत्तराखंड में पर्वतारोहण, स्कीइंग, राफ्टिंग एवं केनोइंग इत्यादि खेलों के विकास पर भी विशेष ध्यान 00दिया जा रहा है। क्योंकि यह सभी खेले पर्यटन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं।
- राजीव गाँधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण देहरादून में किया गया।
- बैडमिंटन वॉलीबाल, बास्केटबाल, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, बाक्सिंग, एथलेटिक्स इत्यादि खेलों के लिये प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं।

18.1 प्रमुख खिलाड़ी *(Famous Sportsman)*

उत्तराखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को भिन्न-भिन्न खेलों के अंतर्गत दर्शाया गया है–

उत्तराखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी

हरदयाल सिंह

- यह उत्तराखंड में देहरादून के निवासी हैं।
- यह भारत की प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के एक सदस्य थे।
- इन्होंने 1950 के केन्या दौरे में भाग लिया जिसमें इन्होंने कुल 96 गोल अकेले किये थे।

ललित शाह

- ये उत्तराखंड में नैनीताल के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं।
- इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर चार बार स्वर्ण पदक जीते।

सैयद अली

- ये नैनीताल के निवासी है।
- इन्होंने भारतीय टीम को दो बार स्वर्ण पदक दिलवाए।
- उत्तर प्रदेश का लक्षण पुरस्कार 1975 में इन्हें प्रदान किया गया था।

अध्याय
19

उत्तराखंड : प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ (Uttarakhand : Major Welfare Schemes)

राज्य के शोषित, पिछड़े गरीब एवं सामाजिक वंचना के शिकार लोगों के कल्याण के लिये एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

19.1 अनुसूचित जाति के लिये कल्याणकारी योजनाएँ *(Welfare Schemes for Scheduled Caste)*

अनुसूचित जाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति

इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं तथा आई.टी.आई. कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति निम्नलिखित मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है:

छात्रवृत्ति के लिये पात्रता

- छात्र/छात्रा राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा विगत वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण रहा/रही हो।
- छात्र/छात्रा को किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त न हो रही हो।
- कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में ही आवेदन करना है।
- छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.मई(प्रत्येक वर्ष) तथा नए प्रवेश की स्थिति में 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
- अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 एवं आई.टी.आई. छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति की दरें निम्नलिखित हैं-

  वर्ष 2005-06 से प्रभावी दरें-

  - कक्षा 1 से 5-₹ 50/- प्रतिमाह
  - कक्षा 6 से 8-₹ 80/- प्रतिमाह

छात्रवृत्ति का भुगतान संबंधित संस्था द्वारा विद्यार्थियों को उनके नाम से खोले गए डाकघर अथवा बैंक खातों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।

कक्षा 9 से 10 तक के अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

वर्ष 2011-12 से कक्षा 9-10 की छात्रवृत्ति केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है-

छात्रवृत्ति के लिये पात्रता

- माता-पिता/अभिभावक की आय की अधिकतम आय सीमा ₹ 200000 वार्षिक।
- **धनराशि:** छात्रवृत्ति डे-स्कॉलर को ₹ 150 एवं हास्टलर को ₹ 350 मासिक अधिकतम 10 माह के लिये अनुमन्य। इसके अतिरिक्त तदर्थ अनुदान डे-स्कॉलर को ₹ 750 एवं हास्टलर को ₹ 1000 वार्षिक दिये जाने को प्रावधान है।
- **वितरण की प्रक्रिया:** सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके नाम से बैंक/पोस्ट ऑफिस में खुले खातों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।

अध्याय
20

उत्तराखंड : प्रसिद्ध व्यक्तित्त्व
(Uttarakhand : Famous Personalities)

उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी से लेकर राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, शिक्षाविद, पत्रकार एवं इतिहासकार जैसे महान व्यक्तित्त्वों ने अपने-अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही साथ उत्तराखंड में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा पर्यावरण प्रेमियों ने भी बहुमूल्य योगदान दिया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्त्व निम्नलिखित हैं-

कालू महरा

- इनका जन्म 1831 में चंपावत ज़िले के लोहाघाट में हुआ।
- ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे।
- 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने कुमायूँ क्षेत्र में क्रांतिवीर संगठन का निर्माण कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चलाया।
- 1906 में इनकी मृत्यु हो गई।

हरगोविंद पंत

- ये सन् 1910 में रानीखेत पहुँचे और यहाँ पर चल रही कुप्रथा तथा अंग्रेज़ों द्वारा किये जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की।
- इन्होंने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर समाप्त किया।
- स्वतंत्रता आंदोलन के समय हरगोविंद जी 1830, 1832 एवं 1940 को जेल गए।
- इन्हें अल्मोड़ा कॉन्ग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है।
- 1937 में ये उत्तर प्रदेश एसेंबली, 1946 में प्रांतीय एसेंबली एवं 1957 में लोकसभा के लिये निर्वाचित हुए।
- हरगोविंद जी की मृत्यु मई, 1957 में हुई।

बैरिस्टर मुकुन्दीलाल

- इनका जन्म 14 अक्टूबर, 1885 में चमोली ज़िले के पाटली गाँव में हुआ था।
- ये 1913 में इंग्लैंड गए और वहीं कानून की पढ़ाई की।
- ये 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव लड़े एवं विजय हासिल की।
- इन्होंने 'गढ़वाली' साहित्य और कला के पुनरुत्थान में काफी योगदान दिया।
- इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक 'गढ़वाल पेंटिंग्स' भारतीय चित्रकला का एक बहुमूल्य ग्रंथ माना जाता है।
- मौलाराम के कवि-चित्रकार व्यक्तित्त्व को प्रकाश में लाने में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
- इनका निधन 10 जनवरी, 1982 को हुआ।

बलदेव सिंह आर्य

- इनका जन्म 1912 को उमथ गाँव (पौड़ी) में हुआ था।
- 1950 में ये सर्वप्रथम प्रोविजनल पार्लियामेंट के सदस्य मनोनीत हुए थे।
- ये सबसे लंबी अवधि तक विधायक तथा मंत्री पद को सुशोभित करने वाले पहले विधायक थे।
- ये अखिल भारतीय हरिजन सेवक के उपाध्यक्ष रहे।
- इनकी मृत्यु 1995 में हुई।

अध्याय
21

उत्तराखंड : समसामयिकी
(Uttarakhand : Current Affairs)

समसामयिकी में उत्तराखंड से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण एवं नवीनतम जानकारियाँ होती हैं। इस अध्याय में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे– नियुक्ति, इस्तीफा, खेल, राजनीति, सम्मान, योजना, पुस्तक एवं लेखक, दुर्घटना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समझौता, सम्मेलन इत्यादि से संबंधित महत्त्वपूर्ण समसामयिकी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है। उत्तराखंड से संबंधित महत्त्वपूर्ण समसामयिकी निम्नलिखित हैं–

- उत्तराखंड के दो पुलिस थाने नैनीताल के वनभूलपुरा थाना (छठवाँ) एवं देहरादून ज़िले के ऋषिकेश कोतवाली थाना (आठवाँ) को भारत के महत्त्वपूर्ण 10 थानों में शामिल किया गया है।
- 28 दिसंबर, 2017 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 'गाय गंगा महिला डेयरी योजना' प्रारंभ किया।
- उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा ग्लेशियर, हवा, जंगल आदि को जीवन इकाई का दर्जा दिया गया है।
- 25 दिसंबर, 2017 को उत्तराखंड के मसूरी नगर में विंटर लाईन कार्निवल आयोजित किया गया।
- हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून एवं पिथौरागढ़ शहरों के बीच मुफ्त विमान सेवा प्रारंभ की गई है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष आनंद सिंह रावत हैं।
- हाल ही में गठित किसान आयोग का अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह को बनाया गया है।
- उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले ने राज्य स्तरीय अंडर 17 फुटबॉल टुर्नामेंट जीता।
- उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कुमाऊँ की पहली हार्ट केयर का लोकापर्ण किया गया।
- उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुबर्द्धन हैं।
- उत्तराखंड उर्दू अकादमी के नए अध्यक्ष परवेज़ सिद्दिकी हैं।
- उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध जागर गायिका बसंती बिष्ट को 2017 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया।
- हाल ही में देहरादून के बहादुर बच्चे सुमित ममगाई को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया।
- गूगल ने 25 मार्च, 2018 को डूडल के साथ चिपको आंदोलन की 45वीं वर्षगाँठ मनाई।
- कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिये राष्ट्रीय क्रेच योजना शुरू की गई है। इसके तहत बजट 2018-19 में 3 करोड़ 70 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।
- मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकने के लिये 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' के लिये बजट 2018-19 में 10 करोड़ 25 लाख 42 हज़ार धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- बजट 2018-19 में 'आम आदमी योजना' के लिये 11 करोड़ 37 लाख 15 हज़ार रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन एवं पलायन रोकने के साथ-साथ रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हेतु ग्रोथ सेंटर की स्थापना के लिये 15 करोड़ रुपए की राशि की बजट- 2018-19 में व्यवस्था की गई है।
- स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वैलनेस सिटी की में स्थापना ऋषिकेश में की जा रही है।
- प्रथम बार ओलावृष्टि को वर्ष 2017-18 में सेब फसल हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत लागू किया गया है।
- 26 जुलाई, 2017 को अटल जड़ी-बूटी मिशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकास खंड के अति दुर्गम क्षेत्रों में 09 संकुल स्थापित किये जा रहे हैं।

अध्याय
22

उत्तराखंड : विविध
(Uttarakhand : Miscellaneous)

उत्तराखंड : संगठन, संस्थान व संग्रहालय

लोक सेवा आयोग उत्तराखंड

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 के द्वारा उत्तराखंड राज्य दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को भारतीय गणतंत्र का 27वाँ राज्य बना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-315 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के गठन के साथ ही उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 247/एक-कार्मिक-2001 दिनांक 14 मार्च, 2001 द्वारा जनपद हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री एन.पी. नवानी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति के साथ ही आयोग 15 मई, 2001 को अस्तित्व में आया। शासनादेश संख्या: 1455/कार्मिक-2/2001 दिनांक 29 अगस्त, 2001 द्वारा आयोग के संरचनात्मक ढ़ाँचे का गठन हुआ। आरम्भ में आयोग के मा0 अध्यक्ष मा0 सदस्यों के पदों सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 73 पदों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई। वर्तमान में मा0 अध्यक्ष, मा0 सदस्य (04 पद), परीक्षा नियंत्रक, संयुक्त सचिव (विधि) (01 पद) संयुक्त सचिव (प्रशासन) (01 पद) सहित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल 143 पद स्वीकृत हैं।

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून

"फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफआरआई), देहरादून" की जड़ें पूर्वी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1906 में स्थापित की गई ताकि देश में वानिकी अनुसंधान का आयोजन किया जा सके। इसका इतिहास न केवल भारत में बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक वानिकी के विकास और विकास का पर्याय है। संस्थान ने देश में वन अधिकारी और वन रेंजर को प्रशिक्षण दिया और आजादी के बाद इसे वन अनुसंधान संस्थान और कॉलेजों के नाम से जाना जाने लगा। 1988 में एफआरआई और उसके शोध केंद्रों को भारतीय वन पर्यावरण मंत्रालय के तहत लाया गया यह भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, (जो राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान तंत्र में एक शीर्ष संस्था है) के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान है।

1906 में स्थापित, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, अपनी तरह के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है, और दुनिया भर में प्रशंसित है। संस्थान का इतिहास, न केवल भारत में, बल्कि पूरे भारतीय उप-महाद्वीप से वैज्ञानिक वानिकी के विकास और विकास के साथ समानार्थी है। इसकी शैली ग्रीक-रोमन वास्तुकला से निर्मित है। इसके मुख्य भवन को राष्ट्रीय विरासत की संज्ञा दी जाती है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई)

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है, जो वर्ष 1889 में स्थापित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) प्रमुख अनुसंधान पशुधन अनुसंधान और इस क्षेत्र के विकास के लिये समर्पित संस्थानों में से एक है। इसके 275 से अधिक के संकाय शक्ति के साथ संस्थान अनुसंधान, शिक्षण, परामर्श और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गतिविधियों का एक प्रमुख जनादेश है। अपने लंबे वैज्ञानिक विरासत के साथ संस्थान हमेशा एक निश्चित प्रतिष्ठा, एक परंपरा सभी का अपना आनंद लिया है। संस्थान छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों से बल्कि विदेशों से न केवल करने के लिये गुणवत्ता स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करता है। मांस और मांस उत्पादों प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्स का आयोजन करता है।

- वर्ष 1889 में सर्वप्रथम डॉ.एल्फ्रेड लिंगार्ड ने इसे इम्पीरियल बैक्टीरियोलोजिकल लैबोरेटरी के नाम से स्थापित किया है।
- वर्ष 1925 में इसका नाम इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च और स्वतंत्रता के बाद वर्तमान नाम रखा गया।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456